

प्रेषक,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सेवा में,

श्रीमती सुखवन्त कौर पत्नी श्री सुखदेव सिंह,
निवासी-ग्राम विक्रमपुर तहसील बाजपुर,
जिला उधमसिंहनगर।

संख्या: ५९९ /उ०ख०/मा०प्लान/उधमसिंहनगर/2019-20,

दिनांक 10 जून, 2019

विषय:- श्रीमती सुखवन्त कौर पत्नी श्री सुखदेव सिंह, निवासी-ग्राम विक्रमपुर तहसील बाजपुर, जिला उधमसिंहनगर के पक्ष में जनपद उधमसिंहनगर की तहसील बाजपुर के ग्राम बैतखेड़ी, दाबका नदी के क्षेत्रान्तर्गत 1.849 है० भूमि में उपखनिज के चुगान/खनन हेतु 05 वर्ष की अवधि हेतु चुगान/खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने हेतु 06 माह की अवधि हेतु आशय पत्र (Letter of Intent) पर स्वीकृत उपखनिज क्षेत्र की खनन योजना के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपके द्वारा जनपद उधमसिंहनगर की तहसील बाजपुर के ग्राम बैतखेड़ी, दाबका नदी, खसरा संख्या 3/2 के क्षेत्रान्तर्गत 1.849 है० भूमि जोकि ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से 61017 टन प्रतिवर्ष के चुगान कार्य रू० 77,85,674.00 (रूपया सत्तहत्तर लाख पिचासी छः सौ चौहत्तर मात्र) प्रतिवर्ष की उच्चतम बोली के रूप में आपके पक्ष में घोषित एवं औद्योगिक विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 1648/VII-1/2018/54ख/ 2018, दिनांक 29 अगस्त, 2018 के द्वारा 05 वर्ष की अवधि हेतु बालू, बजरी, बोल्टर उपखनिज का खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने हेतु आशय पत्र (Letter of Intent) पर आपके पक्ष में स्वीकृत उपखनिज क्षेत्र से सम्बन्धित प्रस्तुत खनन योजना जो कि आर०एल०पी० श्री पंकज पाण्डे मु०ख०/RQP/DDN/04/2016 के द्वारा तैयार की गयी है, को वैज्ञानिक, तकनीकी एवं पर्यावरण सुरक्षा के दृष्टिकोण से खनन संक्रियाओं के सुनियोजित संचालन हेतु उपयुक्त पाये जाने के दृष्टिगत उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली 2001 समय-समय पर यथा संशोधित एवं उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 1582/VII-1/2017/31ख/17 दिनांक 31 अक्टूबर 2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार)(संशोधन) नियमावली 2017 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए, प्रस्तुत खनन योजना का अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जाता है:-

शर्तें

1. प्रस्तुत खनन योजना का अनुमोदन नियमावली के नियम-28 "क" (18) के अनुसार आशयपत्रधारक के पक्ष में शासन द्वारा खनन पट्टा स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश निर्गत किये जाने पर तत्समय शासनादेश में वर्णित अवधि तक के लिये वैध होगा।
2. आशयपत्र धारक द्वारा सक्षम स्तर से प्रश्नगत खनन क्षेत्र की पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त की जायेगी तथा तदनुसार प्राप्त पर्यावरणीय अनुमति की समस्त शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।
3. पट्टाधारक द्वारा औद्योगिक विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 1648/VII-1/2018/54ख/ 2018, दिनांक 29 अगस्त, 2018 के द्वारा 05 वर्ष की अवधि हेतु बालू, बजरी, बोल्टर उपखनिज का खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने हेतु निर्गत आशय पत्र (Letter of Intent) की समस्त शर्तों का अनुपालन करेगा।
4. प्रस्तावित खनन क्षेत्र में खनन कार्य मैनुअल माइनिंग विधि से बिना ब्लास्टिंग के अनुमोदित खनन योजना के अनुसार किया जायेगा। खनन योजना के अनुसार प्रथम वर्ष में प्रथम वर्ष में प्रथम वर्ष में आर०एल० 210 मी० से 208.5 मी० तक 61017 टन, द्वितीय वर्ष में आर०एल० 210 मी० से 208.5 मी० तक 61017 टन, तृतीय वर्ष में आर०एल० 210 मी० से 208.5 मी० तक 61017 टन, चतुर्थ वर्ष में आर०एल० 210 मी० से 208.5 मी० तक 61017 टन एवं पंचम वर्ष में आर०एल० 210 मी० से 208.5 मी० तक 61017 टन उपखनिज का खनन किया जायेगा।
5. प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक के पक्ष में शासन द्वारा जारी आशय पत्र संख्या 1648/VII-1/2018/54ख/ 2018, दिनांक 29 अगस्त, 2018 की समयावधि/नवीनीकरण न कराये जाने की दशा में खनन योजना का अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

6. पट्टाधारक के पक्ष में खनन पट्टा स्वीकृत होने के उपरान्त पट्टाधारक द्वारा पट्टा स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश एवं पट्टाविलेख की समस्त शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।
7. पट्टाधारक द्वारा उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली 2001 एवं उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 1582/VII-1/2017/31ख/17 दिनांक 31 अक्टूबर 2017 में किये गये प्राविधानों का अनुपालन किया जायेगा।
8. पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत खनन क्षेत्र में जे0सी0वी0, पोकलैण्ड सवशन मशीन, लिफ्टर आदि मशीनों द्वारा खनन/चुगान कार्य नहीं किया जायेगा।
9. पट्टाधारक पर्यावरणीय अनुमति (Environmental Clearance) एवं अनुमोदित खनन योजना में दी गयी शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही खनन संक्रिया सम्पादित करेगा।
10. पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत खनिज क्षेत्र से खनिज की निकासी किये जाने से पूर्व उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से Consent to establish एवं Consent to operate प्राप्त किया जाना अपरिहार्य/अनिवार्य होगा।
11. प्रश्नगत खनन पट्टाक्षेत्र के नेशनल पार्क/सेन्चुरी के 10 कि0मी0 की परिधि के अन्तर्गत स्थिति होने की दशा में पट्टाधारक द्वारा नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से पूर्वानुमति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।
12. यह खनन योजना अन्य किसी अधिनियम जो कि इस खान या क्षेत्र पर लागू होते हैं या समय-समय पर राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या अन्य किसी सक्षम द्वारा प्रख्यापित किये जाते हैं, को छोड़ कर अनुमोदित की जाती है।
13. यह खनन योजना वन (संरक्षण) अधिनियम-1980, वन संरक्षण नियमावली 1981 और अन्य सम्बन्धित अधिनियम और नियमावली, आदेश और दिशा निर्देश जो कि इस खनन पट्टे पर समय-समय पर दिये जाये लागू होंगे।
14. अनुमोदित खनन योजना किसी भी प्रभावी क्षेत्रान्तर्गत माननीय न्यायालय के आदेश एवं दिशा निर्देश के लागू होने को बाधित नहीं करती है।
15. अनुमोदित अवधि में किये गये खनन कार्य के निरीक्षण के उपरान्त यदि खनन योजना में संशोधन हेतु आदेश दिये जाते हैं तब संशोधित खनन योजना प्रस्तुत करने का पूर्ण उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
16. आबद्ध/नियोजित श्रमिकों को सुरक्षात्मक उपकरण प्रदान करने तथा सुरक्षित खनन कार्य करने हेतु सभी आवश्यक सावधानियाँ बरतने का दायित्व आवेदक का होगा।
17. अनुमोदित खनन योजना की एक-एक प्रमाणित प्रति सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय एवं निदेशालय के जनपदीय कार्यालय में अभिलेखार्थ यथाशीघ्र प्रस्तुत करने का दायित्व भी आवेदक का होगा।
18. अनुमोदित खनन योजना के अनुसार, आवेदक द्वारा खनन कार्य न किये जाने पर, आवेदक के विरुद्ध पट्टे की शर्त का उल्लंघन माना जायेगा और तदनुसार कार्यवाही की जायेगी।
19. खनन योजना इस शर्त के साथ अनुमोदित की जा रही है कि पट्टाधारक श्रमिकों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य की उचित व्यवस्था करेंगे।

संलग्नक:- खनन योजना की अनुमोदित प्रति।

भवदीय

(डा० मेहरबान सिंह बिष्ट)
निदेशक
०५

संख्या: ५९९ / मा०प्लान/उ०खनि०/उधमसिंहनगर/2019-20,

तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर।
2. उपनिदेशक खनन/जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, जनपद उधमसिंहनगर।

(डा० मेहरबान सिंह बिष्ट)
निदेशक
०५